



केन्द्रीय रेशम बोर्ड CENTRAL SILK BOARD  
(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार Ministry of Textiles - Govt. of India)  
केरेबो कॉम्प्लेक्स, बी टी एम लेआऊट, मडिवाला  
CSB Complex, BTM Layout, Madiwala  
बेंगलूरु Bangalore - 560068

सं No.केरेबो CSB-8(3)/2013/Coord

दिनांक Date :26.09.2013

**CIRCULAR**

In continuation to this office circular of even number, dated 08.07.2013 with regard to retention of staff quarters on transfer, it is to inform that as per the Govt. of India, Directorate of Estates O.M.No.12035/10/2013-Pol.II, dated 10.05.2013 the allottee or his/her family shall be allowed the facility of retention of Govt. accommodation at the last place of posting for the periods permissible under the provisions of both SR-317-B-11 and SR 317-B-22 on payment of prescribed licence fee detailed as under:

- i. First two months on normal licence fee
- ii. 6 months on payment of double the normal licence fee.

The above rules will be applicable from the date of issue of the Notification. This supersedes all the office circulars/orders issued from time to time prior to issue of this circular in this regard, if any. The cases which have been decided will not be re-opened.

[K.K.Shetty]  
Joint Secretary (Tech)

To Heads of Institutes/ROs/RMB/Notice Board



केन्द्रीय रेशम बोर्ड CENTRAL SILK BOARD  
(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार Ministry of Textiles - Govt. of India)  
केरेबो काम्प्लेक्स, बीटीएम लेआउट, मडिवाला  
CSB Complex, BTM Layout, Madivala  
बेंगलूरु Bengaluru - 560068

सं.केरेबो-8(3)/2013/समन्वय

दिनांक : 26.09.2013

## परिपत्र

स्थानांतरण पर कर्मचारी आवास को अधिकार में रखने से संबंधित इस कार्यालय के दिनांक 08.07.2013 के परिपत्र के क्रम में, यह सूचित करना है कि भारत सरकार, सम्पदा निदेशालय का ज्ञा.सं.12035/10/2013-खंड-II दिनांक 10.05.2013 के अनुसार आबंटिती अथवा उनके परिवार को तैनाती के अंतिम स्थान में सरकारी आवास के निर्धारित लाइसेन्स शुल्क के भुगतान पर अधिकार में रखने के लिए एस आर-317-बी-11 एवं एस आर317-बी-22 दोनों के प्रावधानों के अंतर्गत नीचे दिए गए ब्योरे के अनुसार स्वीकार्य अवधि तक अनुमति दी जाएगी :

1. प्रथम दो महीने सामान्य लाइसेन्स शुल्क के भुगतान पर
2. 6 महीने सामान्य लाइसेन्स शुल्क के दुगुने भुगतान पर

उपर्युक्त नियम अधिसूचना जारी करने की तारीख से लागू होंगे । यह परिपत्र इस संबंध में समय-समय पर पहले जारी सभी कार्यालय परिपत्रों/आदेशों के अधिक्रमण में है । जिन मामलों पर निर्णय लिया गया है, उन पर पुनः विचार नहीं किया जाएगा ।

( के.के.शेट्टी )  
संयुक्त सचिव (तक.)

सेवा में

संस्थान/क्षेका/कमाबैं के प्रधान/सूचना पट्ट